न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–66/2022

1. बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू।

..... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

3. श्री इमीचंद गोदारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :– .....

यह वादी का वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थी बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू के नाम से तहसील खाजूवाला के चक 8 डीडब्ल्युडी के मु.नं. 89/24 के किला नं. 1 ता 17, 19 ता 22, 24 ता 25 में कुल 22.10 बीघा (5.6902 हैक्टर) अनकमाण्ड कृषि भूमि दिनांक 25.03.1976 को पुख्ता आवंटन है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड की गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 में दिनांक 05.08.1978 को उपनिवेशन तहसीलदार ई.गा.न.प. पुगल द्वारा स्वीकृत है। मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के रिकॉर्ड की गिरदावरी सम्वत् 2032–2035, 2035–2038, 2040–2043, 2044–2047 में मेरा नाम बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चुरू सही दर्ज था तथा गिरदावरी सम्वत् 2048–2051 में सहवन से मेरा नाम बीरूराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरधरी दर्ज हो गया जो की गलत है। प्रार्थी ने बीरूराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरधरी तहः सरदारशहर जिला चुरू के स्थान पर बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी/प्रार्थी मय अधिवक्ता स्वयं दिनांक 16.06.22 को उपस्थित और वादपत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर गिरदावरी, आधार जमाबंदी, आवंटन राशि जमा रसीद, आधारकार्ड, परिचय पत्र प्रस्तुत किये जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 6 तक शामिल किये गये।

तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट लिखा है कि गिरदावरी 2032–2035 में प्रार्थी का नाम बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चुरू पुख्ता आवंटन का नोट अंकित है। गिरदावरी सम्वत् 2044–2047 तक उक्त भूमि में उक्त नाम सही दर्ज था लेकिन गिरदावरी सम्वत् 2048–2051 में उक्त रकबा में आवंटी का नाम बीरूराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा साकिन फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चुरू जो कि आज की जमाबंदी में अंकित है जो सहवन से दर्ज हुये है इसलिए सही नाम दर्ज किया जाना उचित है। उक्त रकबा में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्थगन आदेश व वाद–विवाद नहीं है।

वादी/प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श) के आधार पर स्वीकार करने निवेदन का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वादपत्र/प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–6) का गहनता से अवलोकन किया और तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उक्त नाम सहवन से गलत दर्ज हुआ है जिसको दुरस्त किया जाना उचित है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 1 गिरदावरी सम्वत् 2032–2035 में अंकित नोट में भी आवंटी का नाम बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा साः फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज बीरुराम पुत्र जीताराम साः फोगाबास भरथरी की जगह बीरुराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा साः फोगाबास भरधरी सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम बीरुराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा साः फोगाबास भरधरी की जगह बीरुराम पुत्र जीताराम साः फोगाबास भरथरी नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)